

मु.न. 53/24 - अखण्डलाल / सायरी देवी

6-2-25

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप.
पत्रावली जारी होकर पत्रावली दिनांक 27-2-25
का पेश हो।

ASOS. - 100 12-2-25

पत्रावली
कारण
दोनों पक्षों
की पक्षों की
विशेष करने पर
हुआ है।
27-2-25
(इ. लाला वादी)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

27-2-25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी ने प्रकरण में "आगे नहीं चलाना
चाहते हैं" जाहिर किया। अतः वादी का वाद
जरिये विट्रोल खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमाव होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)